न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 168/2022
जीसीएमएस : 2022/563

1. नमिता फ्लोरा पुत्री श्री पलविन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 1 ए 2 महावीर इन्टरनेशनल कॉलोनी चक 5 ई छोटी, श्री गगांनगर राज.।
2. अरिंदम सिंह फ्लोरा पुत्र श्री पलविन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी जरिये प्राकृतिक माता मनविन्द्र कौर पत्नी श्री पलविन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 1 ए 2 महावीर इन्टरनेशनल कॉलोनी चक 5 ई छोटी, श्री गगांनगर राज.।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. पलविन्द्र सिहं पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति तरखान नि. 70 सी गली नं. 3 हर्बल ब्यूटी पार्लर, सेतिया फार्म , श्री गगांनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. जसविन्द्र कौर पत्नि श्री हरबंस सिंह जाति तरखान नि. 70 सी गली नं. 3 हर्बल ब्यूटी पार्लर, सेतिया फार्म , श्री गगांनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
3. परमजीतकौर पुत्री श्री हरबंस सिंह पत्नी श्री तेजासिंह साकिन होमलैण्ड सिटी, श्री गगांनगर राज.।
4. जसकरण सिंह पुत्र श्री बावा सिंह जाति तरखान नि.वार्ड नं. 8 पूर्व विधायक सोना देवी के मकान के सामने, रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
5. बलकरण सिंह पुत्र श्री बावा सिंह जाति तरखान निवासी .वार्ड नं. 8 पूर्व विधायक सोना देवी के मकान के सामने, रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
6. बावा सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति तरखान निवासी वार्ड नं. 8 पूर्व विधायक सोना देवी के मकान के सामने, रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर राज.।

—:अप्रार्थीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 21.12..2022

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2. श्री रणवीर सिंह बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 1 ता 3।
3. श्री कर्ण जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ता 6 ।

दिनांक :—11.07.2025

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण के दादा हरबंस सिहं पुत्र लहना सिहं जाति तरखान निवासी 3 टी. के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के नाम से संयुक्त खाता में चक 3 टी. के का मु.न. 174/293 के कि. न. 12–18–19–22–23 प्रत्येक सालम,सालम, मु.न. 47 प.न. 170/300 के कि.न. 1 ता 4 सालम, 5/0.126, 7/0.126, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, सालम, 13/0.126, 19/0.126, 22/.253, 21/0.126, मु.न. 48 प.न. 171/300 के 5/1 के 0.139, 5/2 के0.114, कि.न. 6/1 में 0.190, 6/2 में 0.063, 14/1 के 0.048, कि.न. 14/2 में0.164, 15 ता 17 , 24–25 सालम–सालम, मु.न. 55 प.न. 171/301 के कि.न.1/.253, 2/1 में 0.049है. 2/2 में 0.164है., 3–4 सालम–सालम, 5/0.126 है. 7/0.126, 8–9 सालम–सालम, 10/1 में 0.114, 10/2 में 0.139, 11/1 में 0.025 ,11/0.228, 12/सालम, 13/0.126, 19/0.126, 20/सालम, 21/0.126, मु.न. 56 प.न. 172/302 के कि.न. 1 ता 4 सालम–सालम 5–7 प्रत्येक में 0.126 है. [illegible] प्रत्येक सालम–सालम, 13–19 प्रत्येक में 0.126 है. 20/सालम, 2[illegible] इस प्रकार उक्त मुरब्बों में 7.865है. नहरी, बारानी 4.653है. 0.251है. [illegible] 12.769 है.नहरी/बारानी मय खाला प्रार्थी के दादा हरबंस सिंह व उनके भाई हरजीतसिंह के बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

2/3 हिस्सा व प्रार्थीगण की पड़दादी चरणकौर बेवा लहना सिहं के नाम 1/3 हिस्सा संयुक्त खाता में कृषि भूमि थी, उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। इसके अति. प्रार्थी के दादा हरबंस सिहं के नाम मु.न. 30 प.न. 171/297 के कि.न. 1/0.190, 2/1 में0.089 है. 8/1 में 0.127है. 10–11सालम, 12/1 में 0.126 है. इस प्रकार कुल 1.038 है. नहरी कृषि भूमि ओर खाते में खातेदारी थी। प्रार्थीगण की वंशावली निम्न प्रकार से है कि हरबन्स सिहं पुत्र श्री लहना सिहं पत्नि चरणकौर बेवा लहना सिहं के वारिस पलविन्द्र सिहं, परमजीतकौर पुत्रगण व जसविन्द्रकौर पत्नी हरबन्स सिंह है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 द्वारा आपस में मिलीभगत कर प्रार्थीगण के विरास्तन हक एवं विधिक अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से मद सं. 2 में वर्णित उक्त विवादग्रस्त भूमि को जरिये बेचान व स्वीकृत नामान्तरण कम संख्या दिनांक 20.9. 2022 स्वीकृत नामान्तरण सं. 472 दिनांक 24.06.2020, स्वीकृत नामान्तरण सं. 485 दिनांक 20.10.2020, स्वीकृत नामान्तरण सं. 517 दिनांक 24.6.2022, नामान्तरण सं. 520/20.9.2022, नामान्तरण सं. 531/2.12.2022, नामान्तरण सं. 518/5.07.2022, नामान्तरण सं. 521/20.9.2022 स्वीकृत उक्त भूमि का बेचान कर प्रतिप्रार्थी सं. 4 ता 6 के नाम उक्त भूमि हस्तांरित कर दी, जिसका पता प्रार्थीगण को चलने पर प्रार्थीगण ने उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 से दिनांक 29.11.2022 को सम्पर्क किया ओर अपनी विरास्तन पैतृक संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद भूमि में अपने विरास्तन अधिकार की मांग की, जिस पर उपरोक्त अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये, यही तारीख बिनाये दावा व बिनाये मुखास्मत है। प्रार्थीगण को वाद कारण उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण के विरास्तन अधिकार औथ होने के रोज से ही प्राप्त है। इसके पश्चात् प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के सन्दर्भ में राजस्व रिकॉर्ड भू–प्रबन्ध भाग भूमि की पूर्व जमाबन्दी प्राप्त की, जिसके प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को उक्त के सन्दर्भ में ज्ञान हुआ । हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण को जन्मजात हक एवं अधिकार प्राप्त हो गये थे जो प्रार्थीगण के दादा हरबंस सिहं व दादी चरनकौर की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण प्राप्त हो गये थे, जिसका प्रवर्तन प्रार्थीगण श्रीमान् न्यायालय के माध्यम से अपने हक में करवाने के लिए विधिवत् एवं कानून संगत पात्र है। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 के पक्ष में अप्रार्थीगण सं. 1ता 3 द्वारा करवाये गये वादग्रस्त भूमि के अवैध हस्तांरण के परिणामस्वरूप वर्तमान में राजस्व रिकार्ड प्रतिप्रार्थी सं. 4 ता 6 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सं. 4 ता 6 उक्त भूमि को आगे खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है, जिससे कि मामले में ओर अधिक पेचिदिगिया भविष्य में उत्पन्न होगी । अनावश्यक असुविधा होगी। अप्रार्थीगण को खुर्द–बुर्द करने का कानूनन अधिकार नहीं था वे केवल अपने हिस्से तक की भूमि हस्तांतरित/विक्रीत कर सकते थे अप्रार्थी सें. 1 ता 3 का प्रारम्भ से ही उद्देश्य मात्र प्रार्थीगण के विरास्तन अधिकारों को हड़पने का रहा है, जिसके कारण अप्रार्थीगण सके द्वारा वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मद स. 4 में उल्लेखित हस्तांतरण/ नामान्तरण किये गये, जिसे प्रार्थीगण निरस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि में विधिक अधिकारों की घोषणा कर नियमानुसार उसका बंटवारा करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने के अधिकारी है किन्तु अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से उसे आगे विक्रय /हस्तांतरित कर ओर कानूनी पेचीदगिया पैदा कर सकते है, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी विधिक अधिकारी है। उक्त मदों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में निस्तारित होता है, वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड रहा है। जिसका मूल्याकंन मुद्राओं में सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ता फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रार्थीगण के दादा हरबन्स सिहं सपुत्र लहना सिहं व पड़दादी चरणकौर बेवा लहना सिहं के नाम से उनकी खातेदारी भूमि में से उसका 2/3 हिस्सा वाके चक 3 टी के का मु.न. 174/293 के कि.न. 12–18–19–22–23 प्रत्येक सालम,सालम, मु.न. 47 प.न. 170/300 के कि.न. 1 ता 4 सालम, 5/0.126, 7/0.126, 8 ता 12 प्रत्येक सालम, सालम, 13/0. 126,19/0.126, 22/1–00, 21/0.126, मु.न. 48 प.न. 171/300 के 5/1 के 0.139, 5/2 के0.114, कि.न. 6/1 में 0.190 , 6/2में 0.063, 14/1के 0.048, कि.न. 14/2 में0.164, 15 ता 17, 24–25 सालम–सालम,मु.न. 55 प.न.171/301 के कि.न.1/1–00, 2/1में0.049 है. 2/2में 0.164है., 3–4 सालम–सालम ,5/0. 126 है. 7/0.126, 8–9/2–00, 10/1 में 0.114,10/2 में 0.139 ,11/1 में 0. 025 ,11/0.228,12/1–00, 13/0.126,19/0.126, 20/1–00, 21/0.126,मु.न. 56 प.न.172/302 के कि.न. 1 ता 4 सालम–सालम, 5–7 प्रत्येक में 0.126 है. ,9–10–11 प्रत्येक सालम–सालम,13–19 प्रत्येक में 0.126 है.20/1–00, 21/ 0.126है. इस प्रकार उक्त मुरब्बों में 7.865है. नहरी, 4.653है. 0.251है. खाला कुल 12.769 है.नहरी/बारानी मय खाला, इसके अति.प्रार्थी के दादा हरबसं सिहं के नाम मु.न. 30 प.न. 171/297 के कि.न. 1/0.190, 2/1 में0.089 है. 8/1 में 0.127है. 10–11सालम, 12/1 में 0.126 है. इस प्रकार कुल 1.038 है. नहरी कृषि भूमि को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से रहन बैय व हस्तांतरण नहीं करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री रणवीर सिहं बिश्नोई अधिवक्ता व अप्रार्थी सं. 4 ता 6 की ओर से श्री कर्ण जोशी अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दूओं को विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि उक्त विवादित भूमि हरबन्स सिहं पुत्र लेना सिहं व उनके भाई हरजीतसिहं व चरणकौर बेवा लेना सिहं के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिन्होने अपनी हार्दिक ईच्छा से भिन्न–भिन्न तरह से उक्त कृषि भूमि जसविन्द्र कौर को दे दी, इस कारण अब यह कृषि भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती, अप्रार्थिया सं. 2 को प्राप्त कृषि भूमि धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी आंतयिक सम्पत्ति हो चुकी थी जिसे उसे हर प्रकार से उपयोग–उपभोग, विक्रय या हस्तांतरण करने के अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो चुके थे। अप्रार्थिया सं. 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि विक्रमजीत पुत्र रामरतन को सद्भाविक रूप से आजीविका के लिए खरीद की गई है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थिया सं. 2 की एप्सोलयूट प्रोपर्टी हो चुकी थी, इस कारण वारिसान के लिए उक्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 29.11.2022 को हमसे कोई सम्पर्क नहीं किया गया ,ना ही सम्पर्क करने का कोई कारण था। प्रा.पत्र को बल देने व वाद कारण के लिए गलत व मनगढ़त तथ्यों का समावेश किया गया है प्रार्थीगण का को कोई बिनाये दावा व बिनाये मुखास्मत प्राप्त नहीं है, ना ही कोई वाद कारण [illegible] है। अप्रार्थीगण ने अपने अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया कि [illegible] पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, इस [illegible] इस न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

प्रा.पत्र गलत पेश किया गया जो चलने योग्य नहीं हैं। हमें नाहक परेशान व तंग करने के लिए गलत पक्षकार बनया गया है, इस कारण हम प्रार्थीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जाना व खर्चा जबाव देही प्राप्त करने के अधिकारी है जो दिलवाया जावे। अतः जबाव प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र मय हर्जा, खर्जा खारिज फरमया जावे। अप्रार्थी सं. 4 ता 6 ने अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया है कि हमारे द्वारा उक्त भूमि विक्रमजीत पुत्र रामरतन बिश्नोई से क्रय की गई, हमारा अप्रार्थी स. 1 ता 3 से कोई सम्बन्ध व सम्पर्क नहीं है, हमने भूमि विक्रय प्रतिफल देकर अपनी आजीविका के लिए खरीद की है जो हमारे द्वारा काश्त की जा रहीं है। किसी भी विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, इस कारण इस न्यायालय में प्रा.पत्र गलत पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं हैं। हमें नाहक परेशान व तंग करने के लिए गलत पक्षकार बनाया गया है, इस कारण हम अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जाना व खर्चा जबावदेही प्राप्त करने के अधिकारी है जो दिलवाया जावे। अतः जबाव प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया

3. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र हमे परेशान करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि उनकी खरीद शुद्वा है। जिसके अनुसार हमारे नाम से इन्तकाल दर्ज हो चुका है। हम खातेदार टिनेन्ट है। बैयनामा को निरस्त करने के अधिकार इस न्यायालय को नहीं है जो कि सिविल न्यायालय को है। हम सद्‌भाविक क्रेता है जिन्होने काश्त कर परिवार को पालन–पोषण करने के लिए कृषि भूमि को पूर्ण प्रतिफल अदा कर खरीद किया है, ऐसे में प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

4. अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत विवादित भूमि जसकरण सिहं पुत्र बाबा सिहं के नाम एवं बाबा सिहं पुत्र मुखत्यार सिहं के नाम से दर्ज होना प्रस्तुत की है। उसे पहले उक्त आराजी पुरानी जमाबन्दी में प्रार्थीगण के दादा हरबन्स सिहं–हरजीतसिहं पि.लहना सिहं ब.हि.ब. 2/3, हिस्सा, मु.चरनकौर बेवाह लहना सिहं 1/3 हिस्सा दर्ज प्रस्तुत की है। बैयनामा दिनांक 22.06.2022 के अनुसार विक्रेता श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नी श्री हरबन्स सिंह बहक श्री विक्रमजीत पुत्र श्री रामरतन निवासी 3 आई एस डब्ल्यू बी को वाके चक 3 टीके के 171/207 मु.न.30 के कि.न. 1/.190, 2/1 के.089 है, 9/1 के 0.127, 10/0.253, 11/0.253, 12/1 के 0.126है. कुल 1.038 है. नहरी भूमि पुराना खाता स 35 नया खाता 39 में से हिस्सा की तमाम हिस्सा 389/519 यानि 0.778 है. नहरी भूमि का बेचान किया है। इसी प्रकार से विक्रेता जसविन्द्र कौर पत्नी श्री हरबंश सिहं ने बहक क्रेता विक्रमजीत पुत्र श्री रामरतन निवासी 3 आई एस डब्ल्यू बी को चक 3 टी के मु.न. 170/300 मु.न. 47 के 0.505 है. नहरी व बारानी व प.न. 171/300 मु.न. 48 तादादी 2.024 है. नहरी भूमि मय खाला व प.न. 171/301 मु.न. 55 तादादी 2.679 है. बारानी भूमि मय खाला इस प्रकार तीनों मुरब्बाजात की कुल 5.208 है. नहरी व बारानी [illegible] 2.087 नहरी भूमि व 3.046 है. बारानी व .075 है (खाला) पु[illegible] नं. 36 नया 40 खातेदारी भूमि को बेचान किया है। इसका समर्थन अप्रार्थी [illegible] 4 ता 6 भी करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
रायसिंहनगर

है। प्रार्थीगण ने अपने प्रा.पत्र में खातेदार विकमजीत को पक्षकार भी नहीं बनाया है उसके नाम की जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की है, केवल मात्र अप्रार्थी सं. 4 के नाम की जमाबन्दी प्रस्तुत की है। बैयनामा को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। जो कि सिविल न्यायालय को है। जसविन्द्र कौर के नाम से राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज हो जाने के बाद न्यायालय के विनम्र मत मे धारा 14 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत औरत को प्राप्त सम्पति निरपेक्ष सम्पति हो जाती है। इसके अतिरिक्त वाद पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात आज रोज तक अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि को रहन बैय नहीं किया है जिससे न्यायालय के मत में अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार एवं टिनेन्ट होना साबित है इसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने में अफसल रहे है। चूकि मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सूरत में अपूर्णनीय क्षति टिनेन्ट को होने की पूर्ण संभावना होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायाचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.07.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner